



राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार
(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)
National Water Development Agency
Ministry of Jal Shakti, Government of India
(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)



सं : रा.ज.वि.अ./हैदर/अ.वृ/प्रशा./पी.एफ.225/2022/64-70

दिनांक : 3 .01.2024

कार्यालय आदेश

मुख्यालय, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली का कार्यालय आदेश सं. ADMIN-12/1/2021/11172-83, दिनांक : 29.12.2023 के संदर्भ के अनुसार श्री जी. नरसिम्हा राव (क.प.सं. 0125), पदोन्नति पर प्रधान लिपिक पद से **अधीक्षक श्रेणी-II के पद** पर दिनांक **01.01.2024 (पूर्वाहन)** को इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने वेतन निर्धारण नियम एफ.आर.22(1)(ए)(1) के अधीन तृतीय एम.ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत उन्हें पहले से ही वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 (रु. 35,400-1,12400/-) स्वीकृत किया जा चुका है, अतः वह पदोन्नति के उपरांत फिर से वेतन निर्धारण के हकदार नहीं है।

श्री जी. नरसिम्हा राव, अधीक्षक श्रेणी-II, अन्वेषण वृत्त, राजविअ., हैदराबाद को प्रशासनिक अनुभाग में तैनात किया जाता है।

भवदीय,

एस. ए. नायडु
(एस. ए. नायडु) 31/1/24
अधीक्षण अभियंता

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निदेशक (प्रशा.), {ध्यानाकर्षण : उप निदेशक (प्रशा.)}, रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
2. निदेशक (M.D.U), रा.ज.वि.अ., नई दिल्ली।
3. मुख्य अभियंता (दक्षिण), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, हैदराबाद।
4. अधिशासी अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., हैदराबाद।
5. बिल लिपिक, अधीक्षक अभियंता, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., हैदराबाद (दो प्रतियाँ)।
6. श्री जी. नरसिम्हा राव, अधीक्षण श्रेणी-II, अन्वेषण वृत्त, रा.ज.वि.अ., हैदराबाद।
7. सेवापंजी।